

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/811

--: आदेश :-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोकलसर व भू.अ.नि. मोकलसर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदडी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पानी का बिल पति, सरपंच का उत्पत्ता पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदडी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>मोकलसर</u>	1275, 1303.	<u>रुगनाथराम पुत्र मसरीया</u>	<u>रुगनाथाशाम पुत्र मिश्राराम उर्फ मसरीया</u>

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025/ 88

दिनांक:- 6.11.2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदडी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण रुगनाथाशाम पुत्र मिश्राराम जाति मेघवाल ग्राम-मोकलसर तहसील सिवाना/समदडी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रवाली।



उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)